रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 1977/ज्येष्ठ 7, 1899

No. 224] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1977/JYAISTHA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May 1977

S.O. 374(E).—Whereas there is a widespread demand from different sections of the public for an inquiry into several aspects of allegations of abuse of authority, excesses and malpractices committed and action taken or purported to be taken in the wake of the emergency proclaimed on the 25th June, 1975 under Article 352 of the Constitution;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making inquiry into a definite matter of public importance, that is, excesses, malpractices and misdeeds during the Emergency or in the days immediately preceding the said proclamation, by the political authorities, public servants, their friends and/or relatives and in particular allegations of gross misuse of powers of arrest or detention, maltreatment of and atrocities on detenus and other prisoners arrested under DISIR, compulsion and use of force in the implementation of the family planning programme and indiscriminate and high-handed demolition of houses, huts, shops, buildings, structures and destruction of property in the name of slum clearance or enforcement of town planning or land use schemes in the cities and towns resulting, *inter-alia*, in large number of people becoming homeless or having to move far away from the places of their vocation.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of the following, namely,

Chairman—Shri J. C. Shah, Retired Chief Justice of the Supreme Court of India.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows:—

(a) to inquire into the facts and circumstances relating to specific instances of—

(i) subversion of lawful processes and well-established conventions, administrative procedures and practices, abuse of authority, misuse of powers, excesses and/or malpractices committed during the period when the Proclamation of Emergency made on 25th June, 1975 under Article 352 of the Constitution was in force or in days immediately preceding the said Proclamation,

(ii) misuse of powers of arrests or issue of detention orders where such arrests or orders are alleged to have been made on considerations not germane to the purposes of the relevant Acts during the aforesaid period,

(iii) specific instances of maltreatment of and/or atrocities on persons arrested under DISIR or detained and their relatives and close associates during the aforesaid period,

(iv) specific instances of compulsion and use of force in the implementation of the family planning programme during the aforesaid period,

(v) indiscriminate, high-handed or un-authorised demolition of houses, huts, shops, buildings, structures and destruction of property in the name of slum clearance or enforcement of Town Planning or land use schemes, during the aforesaid period,

provided that the inquiry shall be in regard to acts of such abuse of authority, misuse of powers, excesses, malpractices etc. alleged to have been committed by public servants, and

provided further that the inquiry shall also cover the conduct of other individuals who may have directed, instigated or sided or abetted or otherwise associated themselves with the commission of such acts by public servants;

(b) to consider such other matters which, in the opinion of the Commission, have any relevance to the aforesaid allegations; and

(c) to recommend measures which may be adopted for preventing the recurrence of such abuse of authority, misuse of powers, excesses and malpractices.

3. The inquiry by the Commission shall be in regard to—

(i) complaints or allegations aforesaid that may be made before the Commission by any individual or association in such form and accompanied by such affidavits as may be prescribed by the Commission, and

(ii) such instances relatable to paragraph 2(a) (i) to (v) as may be brought to its notice by the Central Government or a State Government or an Union Territory for inquiry.

4. The Commission shall make interim reports to the Central Government on the conclusion of inquiry into any particular allegation or series of allegations and will be expected to complete its inquiry and submit its final report to the Central Government on or before 31st December, 1977.

5 The Central Government is of opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said Section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

[No. II/16011/32/77-S&P(D II)]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1977

का०आ० 374(अ).—संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 25 जून, 1975 को उद्घोषित आपातस्थिति के समय किए गए प्राधिकार के गलत इस्तेमाल, ज्यादतियों तथा अनाचारों और की गई अथवा की जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाईयों के अभिकथनों के कतिपय पहलुओं के संबंध में जांच करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों ने व्यापक मांग की है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले में, अर्थात् आपातस्थिति के दौरान या उक्त उद्घोषणा के ठीक पूर्ववर्ती दिनों में राजनीतिक प्राधिकारियों, लोकसेवकों, उनके मित्रों और अथवा नातेदारों द्वारा की गई ज्यादतियों, अनाचारों और कुकृत्यों और विशेषतया भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किए गए नजरबन्द व्यक्तियों तथा अन्य बन्दियों के संबंध में गिरफ्तारी अथवा निरोध की शक्तियों के घोर दुरुपयोग तथा दुर्व्यवहार, और उन पर किए गए अत्याचारों, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जबरदस्ती तथा बलप्रयोग करने और गन्दी बस्तियों की सफाई अथवा नगर नियोजन को प्रवृत्त करने अथवा शहरों और नगरों में भूमि उपयोग की स्कीमों के नाम पर मकानों, झोंपड़ों, दुकानों, भवनों, संरचनाओं को अन्धाधुन्ध एवं [illegible] र जबरदस्ती गिराने और संपत्ति के विनाश संबंधी अभिकथनों की, जिनके फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग गृहविहीन हो गए थे अथवा उन्हें अपने काम के स्थानों से बहुत दूर चला जाना पड़ा था, जांच करने के प्रयोजनार्थ एक आयोग का नियुक्त किया जाना आवश्यक है ,

अतः अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिनमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष—श्री जे० सी० शाह, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति ।

2. आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) निम्नलिखित विषयक निश्चित उदाहरणों के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों की जाच—

(i) उस अवधि के दौरान, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 25 जून 1975 को की गई आपातस्थिति की उद्घोषणा प्रवृत्त थी, या उक्त उद्घोषणा के ठीक पूर्ववर्ती दिनों में, विधिपूर्ण प्रक्रियाओं और सुस्थापित परिपाटियों प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का उन्मूलन, प्राधिकार का गलत इस्तेमाल और शक्तियों का दुरुपयोग, ज्यादतियां और या अनाचार ।

(ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार करने की शक्तियों का दुरुपयोग अथवा उन दशाओं में ऐसे निरोध आदेशों का जारी किया जाना जिनमें ऐसी गिरफ्तारियां

या आदेशों के बारे में यह अभिकथन है कि वे ऐसे विचारों से किए गए थे जो संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों से संगत नहीं थे ।

(iii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किए गए, या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों और उनके नातेदारों तथा उनके निकट के सहयोगियों पर किए गए दुर्व्यवहार और अथवा अत्याचारों के निश्चित उदाहरण ।

(iv) पूर्वोक्त अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जबरदस्ती और बलप्रयोग के निश्चित उदाहरण ।

(v) पूर्वोक्त अवधि के दौरान गन्दी बस्तियों की सफाई, अथवा नगर नियोजन को प्रवृत्त करने अथवा शहरों और नगरों में भूमि उपयोग की स्कीमों के नाम-पर मकानों, झोपड़ों, दुकानों, भवनों, संरचनाओं को अन्धाधुन्ध एवं जोर जबरदस्ती गिराना और सम्पत्ति का विनाश ।

परन्तु जांच, प्राधिकार के उन्हीं गलत इस्तेमाल और शक्तियों के दुरुपयोगों, ज्यादतियों, अनाचारों आदि से संबंधित कार्यों के विषय में होगी जिनके बारे में यह अभिकथन है कि वे लोकसेवकों द्वारा किए गए थे, और

परन्तु यह और कि जांच के अन्तर्गत ऐसे अन्य व्यक्तियों के आचरण की जांच भी सम्मिलित है जिन्होंने लोक सेवकों द्वारा ऐसे कार्यों के किए जाने का निदेश दिया हो, ऐसे कार्यों को उकसाया हो, उनका पक्ष लिया हो या उन्हें दुष्प्रेरित किया हो या जिन्होंने ऐसे कार्यों को करने में अपने को अन्यथा सहयुक्त किया हो ।

(ख) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना, जिनकी, आयोग की राय में, पूर्वोक्त अभिकथनों के साथ कोई सुसंगतता है, और

(ग) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिन्हें प्राधिकार के ऐसे गलत इस्तेमाल, शक्तियों के दुरुपयोग, ज्यादतियों और अनाचारों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनाया जा सके ।

3. आयोग द्वारा जांच निम्नलिखित के संबंध में की जाएगी :—

(i) पूर्वोक्त ऐसी शिकायतें या अभिकथन जो ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शपथपत्र लगा कर, जो आयोग द्वारा विहित किए जाएं, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आयोग के समक्ष की जा सकती हैं, और

(ii) पैरा 2 (क) (i) से (v) तक से संबंधित ऐसे उदाहरण, जिनकी ओर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा, जांच के लिए आयोग का ध्यान आकृष्ट किया जाए ।

4. आयोग, किसी विशिष्ट अभिकथन या अभिकथनों की श्रृंखला के संबंध में जांच पूरी कर लेने पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट देगा और यह आशा की जाएगी कि वह अपनी जांच पूरी करके अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1977 को या उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को दे दें

5 केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए,जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

सं० II-16011/32 77-एस एण्ड पी (डी-II)

टी०सी०ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977